CNR: MP1406-001070-2022

न्यायालयः–ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा, जिला मंदसौर म.प्र.

संक्षिप्त विचारण अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)

समरी क्रमांक 130/22 अपराध किये जाने की दिनांक 24.09.2022

रिपोर्ट अथवा परिवाद की दिनांक– 24.09.2022

अभियोगी/परिवादी का नाम व पता आरक्षी केन्द्र :– म.प्र. राज्य द्वारा थाना भानपुरा

अभियुक्त का नाम पैतृकता और निवास

अभियुक्तः– द्वारकालाल पिता हीरालाल खारोल, उम्र–46 वर्ष, निवासी लेदीकला, थाना भानपुरा, जिला मंदसौर म.प्र.

परिवादित अपराध का विवरण

1. आपने दिनांक 24.09.2022 को समय लगभग 15:00 बजे स्थान लेदीखुर्द यात्री प्रतीक्षालय के पास अंतर्गत थाना भानपुरा में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से 05 लीटर महुए से बनी हाथ भट्टी की कच्ची शराब बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखी।

इस प्रकार वह अपराध कारित किया जो **म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान क्षेत्र में आता है।

(ऋषिराज मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भानपुरा जिला मंदसौर म.प्र.

अभियुक्त का अभिवाक् एवं परीक्षण

अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया
अपराध स्वीकार किया

(ऋषिराज मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भानपुरा जिला मंदसौर म.प्र.

द्वारकालाल

CNR: MP1406--001070-2022

न्यायालयः–ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा, जिला मंदसौर म.प्र.

एस.यू.एम. 130/2022

::: निर्णय :::

(आज दिनांक **12.10.2022** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आरक्षी केन्द्र भानपुरा के द्वारा **द्वारकालाल पिता हीरालाल खारोल, उम्र–46 वर्ष, निवासी लेदीकला, थाना भानपुरा, जिला मंदसौर म.प्र.** के विरूद्ध म.प्र. आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा– 34(1) के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित म.प्र. आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा–34(1)(क) के अपराध की विशिष्टियां उसे पढ़कर सुनाई, समझायी जाने पर अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छयापूर्वक उक्त आरोपित अपराध कारित करना स्वीकार किया गया।

3. अभियुक्त की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को म.प्र. आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा–34(1)(क) की दोषसिद्धि पर न्यायालय उठने की सजा एवं 500/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में उसे 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जाये।

4. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति शराब उपयोगहीन होने से नष्ट की जाए।

5. कार्यवाही समाप्त करने का दिनांक 12.10.2022

मेरे उदबोधन पर टाईप किया गया।

12/10/22

(ऋषिराज मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भानपुरा जिला मंदसौर म.प्र.